झारखण्ड सरकार,

<u>कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।</u>

:: *संकल्प* ::

कृपया पढ़े :–

1. योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–141/एफ0सी0, दिनांक 07.12.2015
2. आयुक्त का कार्यालय, उ0छो0 प्रमंडल, हजारीबाग का पत्रांक–49/गो0, दिनांक 10.12.2015

श्री अनिल कुमार सिंह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–478/03, गृह जिला– गया), के विरूद्ध अपर समाहर्त्ता, आपूर्ति, धनबाद के पद पर पदस्थापन अवधि से संबंधित योजना–सह–वित्त विभाग के पत्रांक–141/एफ0सी0, दिनांक 07.12.2015 द्वारा आरोप उपलब्ध कराया गया है।

इनके विरूद्ध आरोप है कि कोयला नगर, कम्यूनिटी हॉल, धनबाद में दिनांक 06.12.2015 को जिस समय बजट पूर्व संगोष्ठि में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भाषण दिया जा रहा था, उस समय श्री सिंह अचानक उनके सामने मंच पर से टहलते हुए गुजर गये, इसके कारण माननीय मुख्यमंत्री के भाषण में व्यवधान पहुँचा। इस प्रकार श्री सिंह द्वारा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया गया।

उक्त के संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त, उ0छो0 प्रमंडल, हजारीबाग के पत्रांक–288, दिनांक 07.12.2015 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री सिंह के ज्ञापांक–1723, दिनांक 08.12.2015 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कहा गया है कि दिनांक 06.12.2015 को बजट पूर्व संगोष्ठि कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिये जा रहे भाषण के समय माननीय मुख्यमंत्री के भाषण के पश्चात् सभाकक्ष के बाहर की जा रही तैयारियों की अद्यतन स्थिति की जानकारी पूरे कार्यक्रम के वरीय पदाधिकारी होने के कारण उपायुक्त, महोदय को तत्काल देना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तृतीय चरण के मतदान के दूसरे दिन राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाले साविधिक प्रतिवेदन, जो उपायुक्त महोदय की व्यस्तता के कारण नहीं भेजा जा सका था एवं इस संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बार–बार दूरभाष से स्मारित कर प्रतिवेदन की माँग की जा रही थी, निर्वाचन के वरीय पदाधिकारी होने के नाते तत्काल इसकी भी सूचना उपायुक्त महोदय को देना आवश्यक था। इन्हीं कारणों से उक्त विषय की जानकारी उपायुक्त महोदय को देने हेतु वे सभा मंच पर शालीनता से गये। जैसे ही उनसे माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा पूछा गया, उन्होंने शालीनता से जवाब दिया एवं माननीय मुख्यमंत्री के भाषण के व्यवधान के कारण उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्रीजी से तत्क्षण हाथ जोड़कर क्षमा माँगा गया।

श्री सिंह का कहना है कि उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्रीजी के कार्यक्रम में दौरान अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए अनुशासनपूर्वक अपने दायित्वों के निर्वहन करने का

प्रयास किया गया है। इसमें उनकी कोई गलत मंशा नहीं थी। विभिन्न तरह के कार्य में व्यस्तता के कारण यदि कार्यक्रम के दौरान उनका कोई गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा है, तो इसके लिए उनके द्वारा पुनः क्षमा माँगा गया एवं आश्वासन दिया गया कि भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं होगी।

श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक–1171/स्था0, दिनांक 10.12.2015 द्वारा मंतव्य दिया गया कि आज के युग में जहाँ दूर संचार के इतने आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, उनके द्वारा अति आवश्यक सूचनाएँ SMS के माध्यम से भी उपायुक्त को दिया जा सकता था। इसलिए श्री सिंह का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। इनके स्पष्टीकरण के आलोक में उनके भूल को क्षमा किया जा सकता है।

श्री सिंह के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, धनबाद के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री सिंह द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान किया गया व्यवहार गैर जिम्मेदारानापूर्वक है, जिसकी अपेक्षा उनके जैसे वरीय पदाधिकारी से नहीं की जा सकती है। उपायुक्त, धनबाद द्वारा भी श्री सिंह द्वारा क्षमा माँगने के कारण उनके द्वारा की गयी भूल को माफ करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

समीक्षोपरान्त श्री सिंह को भविष्य के लिए सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अनिल कुमार सिंह, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(दिलीप तिर्की)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–84/2015 का॰–2622/राँची, दिनांक .... मार्च, 2016

प्रतिलिपि– विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।